न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 97/2010/223 आर टी ए

सुरेन्द्र पाल (फौत)

रघुवीरसिंह पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. साहबराम फौत

1/1 अशोक पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 रमेश पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 संदीप पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 मु. सरिता पुत्री स्व. साहबराम पत्नि देवेन्द्र भादू जाति जाट निवासी ब्यास कॉलोनी के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/5 मु0 विनीता पुत्र स्व. साहबराम पत्नि उग्रसैन जाति जाट निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/6 अनिता पुत्री स्व0 साहबराम पत्नि रूचिन ज्याणी जाति जाट निवासी कटेडा तहसील व जिला फाजिल्का।

2. मु0 परमेश्वरी पत्नि स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णचन्द्र उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम (फौत)

3/1 श्रीमति कौशल्यादेवी पत्नि कृष्णचन्द उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. मु0 राजेश्वरी पुत्री लाधूराम पत्नि स्व. साहबराम जाति जाट निवासी ममेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. मु0 राजदुलारी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि प्रेमजी जाति जाट निवासी भागूवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
6. मु0 चन्द्रकला पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी हीरावाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
7. मु0 इन्द्रामोहनी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि भानीराम भुंवाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुरेन्द्रपाल अपीलांट (फौत)

9/1 कौशल्या देवी पत्नि स्व. सुरेन्द्रपाल जाति जाट निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

9/2 बबीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रणजीत पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

9/3 श्वेता उर्फ सीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय 28.06.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
वाद सं0 40/2006 अनवानी साहबराम बनाम सुरेन्द्रपाल आदि अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांकः–16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया, जिसमे प्रतिवादी ने इकबालदावा पेश किया जो दिनांक 26.05.2000 को डिक्री किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 12 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील सं. 153/2001 प्रस्तुत की तथा उक्त दिनांक 31.05.2005 को आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि रेस्पो0 सं. 12 को दावा पक्षकार बनाया जाकर एवं जवाब व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय प्रसारित करें। रिमाण्ड होने के उपरांत रेस्पो0 सं. 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त डिक्री दिनांक 26.05.2000 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे हुए अंकन को निरस्त कर पुनः स्थिति बहाल करने हेतु अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.06.2010 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 26.05.2000 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख मे बहाल करने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस अपीलांट पर तामील नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तामील हुए बिना अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलांट के पक्ष मे डिक्री संख्या 75/200 मे पारित निर्णय अनुसार चक 8 जीजीबार व चक 2 एमएसटीएम मे स्थित भूमि मे अपने पिता स्व. लाधूराम के हिस्सा की भूमि के संबंध मे स्व. लाधूराम के शेष वारिसान के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा की गई थी। रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 2 एमएसटीएम यथावत ही दर्ज चली आ रही थी। इस डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 ने बतौर तृतीय पक्षकार अपील संख्या 153/2001 प्रस्तुत की थी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने दिनांक 31.05.2005 को इस अपील को सिर्फ आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पो0 सं. 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया था। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 31.05.2005 के अन्तर्गत रेस्पो0 सं. 1 के हक व अधिकार तय नही हुए थे तथा प्रश्नगत

भूमि मे उसका हित अथवा हक उसके द्वारा पृथक से दावा करने पर ही विचारण उपरांत तय होना था। रेस्पो0 सं. 1 इस प्रकार सफल पक्षकार नही था तथा ना ही उसके अधिकारो को तय करते हुए अपील संख्या 153/2001 निर्णित हुई थी। रेस्पो0 सं. 1 को स्व. लाधूराम के वारिसान की हद तक जारी डिक्री दिनांक 26.05.2000 के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई प्रविष्टियों को पुनः स्थापित करने का अधिकार नही था। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1994 पेज 161, आरआरटी 2003(1) पेज 657, आरआरडी 1995 पेज 117 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2010 को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2/1, 3 ता 6 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का स्वीकार करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि मे 8 जीजीआर के खाता सं. 55/47 के प.न. 199/279 कि.न. 6, प.न. 200/279 कि.न. 10 कुल 2 बीघा चक 2 एमएसटीएम तहसील टिब्बी के खाता सं. 4/4 मे कुल 12.550 है0 मे 1/3 हिस्सा घरूबंटवारा मे प्राप्त होने व इस भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 ने इस वादपत्र मे वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबालदावा प्रस्तुत किया हुआ है। यह भूमि अपीलांट को घरूबंटवार अनुसार प्राप्त हुई है तथा इसी के मुताबिक कब्जा काश्त है। इस अपील मे अपीलांट द्वारा याचित अनुतोष से रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे रेस्पो0 की सहमति है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया। जो दिनांक 26.05.2000 को डिक्री किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील सं. 153/2001 प्रस्तुत की जो दिनांक 31.05.2005 को आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि रेस्पो0 को पक्षकार बनाया जाकर एवं जवाब व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जावे। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2000 होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त डिक्री दिनांक 26.05.2000 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे हुए अंकन को निरस्त कर पुनः स्थिति बहाल करने हेतु अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 26.05.2000 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख मे बहाल करने के आदेश पारित किया गया जो सही एवं विधिसम्मत है। वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट का कोइ हक व हिस्सा नही है। विवादित भूमि अकेले साहबराम की है तथा रेस्पो0 के कब्जा

काश्त मे है। अपीलांट द्वारा मिथ्यां कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया, जो दिनांक 26.05.2000 को डिक्री किया गया उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 सं. 12 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील सं. 153/2001 प्रस्तुत की तथा उक्त दिनांक 31.05.2005 को आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि ''रेस्पो0 सं. 12 को दावे मे पक्षकार बनाया जाकर एवं जवाब व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।'' रिमाण्ड होने के उपरांत पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं जवाब विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पो0 सं. 1 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त डिक्री दिनांक 26.05.2000 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे हुए अंकन को निरस्त कर पुनः स्थिति बहाल करने हेतु अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 26.05.2000 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख मे बहाल करने के आदेश पारित किया गया जबकि निर्णय दिनांक 26.05.2000 निरस्त होने से एवं रिमाण्ड करने से रेस्पो0 सं. 1 के हक व हिस्सा का निर्धारण नही हुआ था बल्कि रेस्पो0 सं. 1 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। रेस्पो0 सं. 1 निर्णय दिनांक 26.05.2000 मे पक्षकार नही था इसलिए उक्त निर्णय निरस्त होने से निर्णय से पूर्व ही स्थिति बहाल करवाने हेतु रेस्पो0 सं. 1 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत करने अधिकार नही था और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व की स्थिति बहाल करने का औचित्य था। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2010 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 97/2010/223 आर टी ए

सुरेन्द्र पाल (फौत)
रघुवीरसिंह पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
––अपीलांट

बनाम

1. साहबराम फौत

1/1 अशोक पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 रमेश पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 संदीप पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 मु. सरिता पुत्री स्व. साहबराम पत्नि देवेन्द्र भादू जाति जाट निवासी ब्यास कॉलोनी के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/5 मु0 विनीता पुत्र स्व. साहबराम पत्नि उग्रसैन जाति जाट निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/6 अनिता पुत्री स्व0 साहबराम पत्नि रूचिन ज्याणी जाति जाट निवासी कटेडा तहसील व जिला फाजिल्का।

2. मु0 परमेश्वरी पत्नि स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णचन्द्र उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम (फौत)

3/1 श्रीमति कौशल्यादेवी पत्नि कृष्णचन्द उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. मु0 राजेश्वरी पुत्री लाधूराम पत्नि स्व. साहबराम जाति जाट निवासी ममेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. मु0 राजदुलारी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि प्रेमजी जाति जाट निवासी भागूवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
6. मु0 चन्द्रकला पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी हीरावाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
7. मु0 इन्द्रामोहनी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि भानीराम भुंवाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुरेन्द्रपाल अपीलांट (फौत)

9/1 कौशल्या देवी पत्नि स्व. सुरेन्द्रपाल जाति जाट निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

9/2 बबीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रणजीत पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

9/3 श्वेता उर्फ सीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय 28.06.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
वाद सं0 40/2006 अनवानी साहबराम बनाम सुरेन्द्रपाल आदि अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0, श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2010 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.01.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ